of adequate manpower by the state and the need for public awareness campaigns through mass media and farmers' meetings. These have been communicated to all the concerned Central and State agencies.

गुजरात में वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना

4019. **श्री चीमनभाई शुक्ल**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में कच्छ, राजकोट बनासकांठा जैसे जिलों में वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है,

(ख) क्या कच्छ जिले में उक्त परियोजना के अंतर्गत वांक्षित लक्ष्य की प्राप्त नहीं किया जा सका,

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान निर्धारित किये गए लक्ष्यों तथा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है,

(घ) वांछित लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं, और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ग) और (ग) कच्छ जिले में 14378 हैक्टेयर वर्षा सिंचित क्षेत्र के उपचार करने के वास्तविक लक्ष्य की तुलना में, आठवीं योजना के दौरान बताई गई उपलब्धि 10980 हैक्टेयर रही जो 76 प्रतिशत थी।

(घ) और (ङ) वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में आई कमी के कारण है:-

(i) आठवीं योजना के दौरान शुरू की गई वर्षा सिंचित क्षेत्र में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना पूर्व में क्रियान्वित किये जा रहे पनधारा कार्यक्रम का पुर्गठित रूप था, इसमें फील्ड कार्यकर्त्ताओं और पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग को वर्षा सिंचित क्षेत्र में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के कार्यान्वयन के शुरूआती चरण में परियोजना की अवधारणा, दृष्टिकोण, नीतियों और कार्यक्रम संबंधी विभिन्न उपायों की ओर अभिमुख किये जाने और प्रशिक्षित किये जाने में कुछ समय लगा, और

(ii) एनडब्ल्यूडीपीआरए के तहत आने वाले वास्तविक क्षेत्र के कवरेज में कृषि योग्य और गैर-कृषियोग्य भूमि का उपचार शामिल है।

पंचायतों/सरकारों के स्वामित्वाधीन गैर-कृषियोग्य भूमि के उपचार में संबंधित एजेंसियों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में कुछ प्रक्रियात्मक देरी हुई।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उपरोक्तत बाधाओं को दूर किया जा रहा है।

ड्रिप सिचांई के लिए गुजरात को धनराशि का आबंटन

4020. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान गुजरात में कच्छ और बनासकांठा जिलों के लिए ड्रिप सिंचाई योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई,

(ख) क्या राज्य सरकार ने आबंटन में वृद्धि की मांग की है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या धनराशि के उपयोग के संबंध में राज्य सरकार से की रिपोर्ट मांगी गई है,

(ङ) क्या राज्य सरकार ने कच्छ और बनासकांठा में वर्तमान सूखे की स्थिति के संदर्भ में सरकार की सूचित किया है, और

(च) राज्य सरकार को स पब्रयोजनार्थ कितनी अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) भारत सरकार निधियों का आबंटन राज्य सरकारों को करती है जो इसे देश के विभिन्न जिलों को आंबटित करती है। वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान "कृषि में प्लीस्टिक का उपयोग" सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत गुजरात सरकार को आबंटित निधियों और तदनन्तर राज्य सरकार द्वारा कच्छ और बनासकांठा जिलों को आबंटित निधियों के विस्तृत ब्यौरा विवरण में दिए गए हैं (निचे देखिए)

(ख) और (ग) वर्ष 1997-98 के दौरान गुजरात सरकार ने 26.07 लाख रूपये के मूल आवंटन की तुलना में 315.00 लाख रुपये के आवंटन का अनुरोध किया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं।

(च) वर्ष 1997-98 के दौरान "कृषि में प्लास्टिक का उपयोग" संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत गुजरात सरकार को 100.00 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 के लिए गुजरात का परिष्यय 226.63 लाख रुपये है।

विवरण

गुजरात सरकार को कृषि में प्लास्टिक का उपयोग संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत आबंटित निधियों के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	गुजरात सरकार को आबंटित कुल निधियां	गुजरात सरकार द्वारा आवंटन	कच्छ को बनास कांठा को
1.	1994-95	208.75	12.60	5.40
2.	1995-96	262.00	19.09	9.98
3.	1996-97	196.45	14.74	12.92

कीटनाशकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाना

4021. **श्री चनेश्वर मिश्र**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आजकल कीटनाशकों का इतना अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है कि इनके कुछ अंश प्रत्येक खाद्यान, फ्लों और सब्जियों आदि में आ जाते हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इन कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने और खाद्य-पदार्थों में इनकी मात्रा को ह्रानिरहित स्तर तक लाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) कीट नियंत्रण के लिए निर्धारित कृषि पद्धतियों के अनुसार प्रयोग किये गये कीटनाशियों के अवशेष खाद्यानों, फ्लों और सब्जियों पर अधिक मात्रा में नहीं रहते हैं। कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति कीटनाशियों के प्रयोग का अनुमोदन करते समय खुराक और अंतराल अवधि का निर्धारण करती है । इस निर्धारित अंतराल अवधि से यह सुनिश्चित होता है कि कीटनाशियों के अवशेष खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत निर्धारित साह्य सीमा से अधिक न हों।

(ग) कीटनाशियों के अधिक मात्रा में प्रयोग को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:-

(1) समेकित कीट प्रबन्ध (आई.पी.एम.) नीति अपनाना।

(2) जैव-कीटनाशियों और पादप उत्पादों का संवर्धन और कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत उदार मानदण्ड के रूप में इनका पंजीकरण करना।

(3) हानिकारक कीटनाशियों के प्रयोग को समाप्त करना/रोकना/प्रतिबंधित करना।

(4) "कृषक क्षेत्र स्कूल" स्थापित करके और कृषकों, कृषि विस्तार अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों को आई.पी.एम. प्रशिक्षण देने के लिए "पूरे मौसम का प्रशिक्षण" कार्यक्रम चला कर आई.पी.एम. में मानव संसाधान विकास करना।

(5) चावल, कपास, सब्जियों, सरसों, मूंगफली, अरहर और चने की आई.पी.एम. पद्धतियों सम्बद्धी सामग्री का प्रकाशन और उनका व्यापक विवरण।

(6) राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं के माध्यम से जैव-नियंत्रण कारकों का व्यापक स्तर पर उत्पादन और इनके प्रयोग का प्रदर्शन करना। इसके अतिरिक्त, किसानों को इनके उत्पादन की तकनीकों के बारे में बी शिक्षित किया जा रहा है।

देश में ग्रतिबंधित नाशी जौव नाशकों का इस्तेमाल किया जाना

4022. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सच है कि भारत में अब भी ऐसे कई नाशी जीव नाशकों का प्रयोग किया जा रहा है जो दूसरे देशों में प्रतिबंधित हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और